प्राधिकरण कार्य संचालन

संख्या–1327 / 9–आवास–5–1998

प्रेषक,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
अध्यक्ष / सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 1998

विषय : प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्य के अनुरूप विभिन्न संवगों में पदों का निर्धारण किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या–2987 / 37–2–86 डीए / 83, दिनांक 14 मई, 1993 द्वारा विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की निर्माण एवं आवासीय योजनाओं के कार्य सम्पादन में शीघ्रता एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1.00 करोड़ रूपये से लेकर 1.25 करोड रूपये तक के निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु एक निर्माण खण्ड(डिवीजन) के सृजन की अनुमति कतिपय शर्तो के साथ प्रदान की गयी थी। विगत वर्षो में निर्माण सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोउत्तर वृद्धि एवं विकास योजनाओं के लागत में पर्याप्त वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर यह उचित पाया गया है कि एक निर्माण खण्ड(डिवीजन) के सृजन हेतु 1.00 से 1.25 करोड़ तक के निर्माण कार्य का मानक अब संगत नहीं रह गया अतः इस बढ़ाकर 5.00 करोड़ रखना उचित होगा। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर पर डिवीजन के सृजन का पुनरीक्षण / निर्धारण आवश्यक हो गया है एवं 5.00 करोड़ के निर्माण / विकास कार्य पर एक निर्माण खण्ड (डिवीजन) का सृजन / निर्धारण किया जना औचित्यूपर्ण होगा।

जिन विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकस प्राधिकरणों में डिमोलेशन स्क्वायड का अस्तित्व है उन विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में प्रत्येक सेक्टर के लिए सहायक अभियंता एवं 04 अवर अभियंता के अतिरिक्त पदों का निर्धारण किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्माण खण्डों का निर्धारण करते हुए शासनादेश संख्या– 2987 / 37–2–96 डीए / 83 दिनांक 14 मई, 1993 में उल्लिखित मानकों के अनुसार पदों की संख्या संवर्गवार निर्धारित करते हुए शासन को एक पक्ष में अवगत कराने का कष्ट करें।

2. नियोजन संवर्ग में पदों के निर्धारण के लिए बड़े नगरों के प्राधिकरण जिनमें कानपुर,इलाहाबाद, लखनऊ ,आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मरेठ तथा बरेली के लिए मुख्य वास्तुविद नियोजक सहित प्रथम श्रेणी के 03 पद, द्वितीय श्रेणी के 05 पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 10 से 12 पद आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाना उचित होगा। जहाँ '' लैण्ड स्केपिंग'' का कार्य अपेक्षाकृत अधिक है वहाँ पर एक लैण्ड स्केपिंग वास्तुविद का पद यथा आवश्कता रखा जा सकता है। मध्यम आकार के नगरों के प्राधिकरण यथा मुरादाबाद, अलीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, झाँसी तथा फैजाबाद में प्रथम श्रेणी का एक पद, द्वितीय श्रेणी के दो पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 05 पदों का निर्धारण यथा आवश्यकता किया जा सकता है अन्य प्राधिकरणों में द्वितीय श्रेणी के दो पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 03 कर्मचारियों को रखा जाना उचित होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त नियोजन कार्यालय के लिए समान्य स्टाफ यथा आशुलिपिक / लिपिक / टंकक का निर्धारण आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।

3. इस प्रकार अन्य संवर्गो यथाः लेखा प्रशासनिक, राजस्व में भी कार्य के आधार पर पदों का पुननिर्धारण किया जाना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर अधिष्ठान अनुभाग में 150–200 कार्मिकों के अधिष्ठान पर एक वरिष्ठ लिपिक का पद एवं 300 सेवा पुस्तिकाओं के रख–रखाव के लिए एक सहायक की तैनाती किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार सम्पत्ति अनुभाग के लिए लगभग 1200 आवंटियों के पत्रावली पर एक लिपिक का निर्धारण एवं प्रत्येक अनुभाग की देख–रेख के लिए एक अनुभाग अधिकारी / सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति अधिकारी का निर्धारण किया जाना वांछनीय होगा। स्पैन आफ कन्ट्रोल प्रभावी हो इसके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 10 से 12 कर्मचारियों पर कार्यालय अधीक्षक अनुभाग अधिकारी का एक पर्यवेक्षकीय पद निर्धारित किया जाये।

4. प्रशासनिक संवर्ग में वरिष्ठ पदों का निर्धारण उपाध्यक्ष, कार्य एवं पर्यवेक्षण के भार हो देखते हुए अपने विवेक से करते हुए समग्र सूचना से शासन को एक पक्ष में अवगत करायें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–147 / 9–आवास–51998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 16 मई, 1998

विषय : उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों के स्थानांतरण की दशा में उपाध्यक्ष का कार्य जिलाधिकारी द्वारा देखे जाने संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरों के नियंत्रित एवं सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है। उनमें प्राधिकरणों के कार्य की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद पर अधिकारी तैनात किये जाते हैं। कभी–कभी कार्यहित में जब उपाध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाता है और तत्काल किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की जाती हे तब प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने में विषम स्थिति स्थानीय व्यवस्था के तौर पर पैदा हो जाती है एवं सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के क्रिया–कलाप पर प्रभावी नियन्त्रण रख पाना कठिन होता है।

2. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त स्थिति में उपाध्यक्ष का कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा देखा जायेगा। जिलाधिकारी यह कार्य तब तक देखेंगे जब तक उस विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक की तैनाती न हो जाय।

इस व्यवस्था पर नियुक्ति विभाग की सहमति है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1616 / 9–आ–1–99–37 विविध / 1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 1999

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अध्याय–8 के अधिनियम–41 के उपनियम–1 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुउ श्री राज्यपाल महोदय प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों क सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी करते हैं :–

(1) विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में अनुपूरक सहित 50 मद से ज्यादा मदें कार्यसूची में सम्मिलित न की जाय। यदि अपरिहार्य कारणों से अधिक मदें बोर्ड में ली जानी हों तो पुनः बैठक की जा सकती है। अधिक मदें होने के कारण उन पर समुचित रूप से विचार नहीं हो पाता है व जल्दी–जल्दी निपटाने का प्रयास किया जाता है, जो उचित नहीं है।

(2) कम से कम एक सप्ताह पूर्व कार्यसूची की सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि उसके समुचित परीक्षणोरान्त नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।

(3) विधान मण्डल की बैठकों के दिन बोर्ड बैठक न की जाय। सामान्यतः सत्र के दौरान बैठक रखी ही न जाय।

2– उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–341/9–आ–5–99–18ई/99

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 05 अप्रैल, 1999

विषय : विकास प्राधिकरण में पेन्शन की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कार्यरत सेवकों द्वारा समय–समय पर सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेन्शन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शायन को अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा उपर्युक्त विषय में समस्त विद्यमान भ्रान्तियों का समाधान करने की दृष्टि से प्राविधानित नियामों की परिधि में स्थिति स्पष्ट किये जाने का निर्णय लिया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–59(3) के अन्तर्गत स्थानीय नगर महापालिका के विकास क्रियाओं से सम्बन्धित अधिष्ठान के समस्त पद, जा उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 द्वारा नियंत्रित पद नहीं थे पदधारकों सहित विकास प्राधिकरणों में अन्तरित हो गये थे एवं इन पदों के पदधारकों की सेवा शर्तें वही रखी गयी थी जो उन्हें नगर महापालिका में प्राप्ति थी। धारा–59(3) के उक्त प्राविधान के तहत विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अन्तरित पदों के पदधारकों को शासनादेश संख्या–36/37–2–133 डीए/78, दिनांक 17 मार्च, 1983 एवं संख्या–6778/37–2–133 डीए/78, दिनांक 29 सितम्बर, 1983 के अनुसार नगर महापालिका के कर्मचारियों की भाँति पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। परन्तु जो व्यक्ति विकास प्राधिकरणों में सीधे अधिनियम की धारा–5(2) के तहत नियुक्त हुए हैं और वह अकेन्द्रीयित पदों पर कार्यरत है, या दिनांक 22–01–84 को प्राधिकरण की कतिपय सेवाओं के केन्द्रीयकरण होने के फलस्वरूप केन्द्रीयित सेवा के पदों पर कार्यरत है, या कालान्तर में उक्त केन्द्रयित सेवा में नियुक्त हुए है, उन्हें वर्तमान में पेंशन अनुमन्य नहीं है। दूसरे शब्दों में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के पदधारकों एवं विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित पदों पर धारा–5(2) के अर्न्तगत सीधे नियुक्त कर्मियों को पेंशन की सुविधा सुलभ नही है।

कृपया उपरोक्तानुसार पेंशन प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या– 1590/9–आ–5–99–18 ई/99

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. उध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 1999

विषय : विकास प्राधिकरणों में पेंशन की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निर्गत शासनादेश संख्या–341/9–आ–5–99–18 मई/99 दिनांक 05 अप्रैल, 1999 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथय आया है कि संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के अन्दर यह भ्रान्ति व्याप्त हो गयी है कि प्राधिकरण सेवा के सदस्यों को अब पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रकरण शासन में अन्तिम रूप से विचार करते हुए अस्वीकृत कर दिया गया है।

2– उपरोक्त व्याप्त भ्रान्ति को निराकरण करने के दृष्टि से मुझे उक्त विषय में यह स्पष्ट करना है कि शासन की मंशा यह कदापि नहीं है कि प्राधिकरण सेवा के कार्मिको को पेंशन की सुविधा से सर्दव वंचित रखा जाय। वस्तुतः शासन प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसमें पेंशन हेतु विचार किया परन्तु सी0पी0 फण्ड/जी0पी0 फण्उ आदि की एकरूप व्यवस्था न होने के कारण वर्तमान में संस्तुति करना सम्भव नहीं पाया गया। यह निर्णय हुआ कि इस दिशा में कार्यवाही की जाये, तदोपरान्त पुनः विचार किया जा सकेगा। शासन इस सिद्धान्त के आधार पर पेंशन वयवस्था हेतु विचार करेगा कि इसका व्ययभार किसी भी दशा में शासन/प्राधिकरण पर कभी न आये। अतैव आवश्यक है कि एक ऐसा फण्ड शीघ्र बनाया जाय कि जिससे देन की व्यवस्था लागू की जा सके। अतः सर्वप्रथम पेंशन अनुमन्य कराये जाने के पूर्व सी0पी0एफ0/पी0एफ0 की व्यवस्था में एकरूपता, फण्ड के प्रबन्धन एवं लेखा–जाखा के रख–रखाव की उचित व्यवस्था आदि की जानी आवश्यक हैं इस हेतु एक समिति कठित कर दी गयी है।

अतएव यह प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है और इस सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त उचित निर्देश प्रसारित किये जायेगें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या : 1619/9–आ–5–1999

लखनऊ : दिनांक :01 मई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–4(1) के अन्तर्गत 'कवाल' नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा में स्थापित विकास प्राधिकरणों के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व इन नगरों के नगर महापालिका अधिष्ठान के समस्त पद, जो पालिका केन्द्रीयित सेवा द्वारा नियंत्रित थे, अधिनियम की धारा 59(4) के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों में अन्तरित हो गये एवं ऐसे अन्तरित पदों की पालिका केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहने की व्यवस्था की गयी है जिस प्रकार वे भरे जाते, यदि वे इन विकास प्राधिकरण को अन्तरित नहीं किए गये होते। इन 5 नगरों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य नगरों में जहाँ तत्समय नगर महापालिका नहीं थी और यदि इनमें से कुछ में नगर महापालिकाएं बाद में बनी थीं तो वहॉ पर स्थापित होने वाले विकास प्राधिकरणों में अधिनियम की धारा 59(4) की व्यवस्था न तो अस्तित्व में नहीं आयी और न ही प्रासंगिक हुई एवं ऐसे प्राधिकरणों में पालिका केन्द्रीयित सेवा के कोई पद अन्तरित नहीं हुए। कवाल नगरों में स्थापित विकास प्राधिकरणों में नगर महापालिका अधिष्ठान के जो पद तत्समय अन्तरित हुए, उतका संवर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	संवर्ग का नाम/प्राधिकरण का नाम	कानपुर	वाराणसी	लखनऊ	इलाहाबाद	आगरा	कुल
1.	मुख्य अभियन्ता	–	–	–	–	1	1
2.	अधिशासी	2	1	1	1	2	7
3.	सहायक अभियन्ता	15	3	7	3	4	32
4.	अवर अभियन्ता	38	8	38	9	19	112
5.	संयुक्त सचिव/उप नगर अधिकारी	–	1	–	–	1	2
6.	उप सचिव/सहायक नगर अधिकारी	5	–	1	–	6	12

2– वर्ष 1991 में एकीकृत आवास एवं नगर विकास के अधिष्ठान कार्य पृथक हे जाने के पश्चात दिनांक 8 अप्रैल 1996 को पालिका केन्द्रीयित सेवाके अन्तरिम पदों की संख्या निर्धारित करने सम्बन्ध में आवास विभाग एवं नगर विकास विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तरित पदों में से विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में तददिनांक तक आमेलित पद्धारकों की संख्या को सम्बन्धित संवर्ग में से कम करते हुए नये सिरे से अन्तरित पदों की संख्या का निर्धारण किया गया। उक्त पुनर्निर्धारणके पश्चात पालिका केन्द्रीयित सेवा के कतिपय कर्मियों के आमेलन के फलरूवरूप वर्तमान में विकास प्राधिकरणों में संवर्गवार अन्तरित पदों का निर्धारण निम्न प्रकार बनता
है :–

क्रमांक	संवग का नाम/ प्राधिकरण का नाम	कानपुर	वाराणासी	लखनऊ	इलाहाबाद	आगरा	कुल
1.	मुख्य अभियन्ता	–	–	–	–	1	1
2.	अधिशाषी अभियन्ता	2	1	1	1	2	7
3.	सहाकय अभियन्ता	15	3	7	3	4	32
4.	अवर अभियन्ता	38	8	38	9	19	112
5.	संयुक्त सचिव/उप नगर अधिकारी	–	1	–	–	1	2
6.	उप सचिव/सहायक नगर अधिकारी	5	–	1	–	6	12

3. दिनांक 8 अप्रैल 1996 की बैठक में आपसी सहमति से यह भी राय किया गया कि पुनर्निर्धारित अन्तरित पदों के सापेक्ष्य यदि इन कवाल नगरों में स्थापित विकास प्राधिकरणों में अधिक संख्या में कर्मी कार्यरत हैं तो नगर विकास विभाग उन्हें वापस लेने की कार्यवाही करेगा।

4. उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में की गयी व्यवस्था एवं दिनांक 8 अप्रैल 1996 को लिए गये नीतिगत निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए यह पुनर्स्थापित किया जाता है कि सिर्फ कवाल नगरों के प्राधिकरणों में अधिनियम की धारा–59(4) के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गो के अन्तरित पदों की संख्या तक ही पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाय एवं किसी भी संवर्ग में निर्धारित संख्या से अधिक कर्मी को कदापि तैनात न किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि चूँकि इन 5 नगरों के अतिरिक्त अन्य नगरों में स्थापित विकास प्राधिकरणों, जहाँ पर अधिनियम की धारा 59(4) के अन्तर्गत कोई पद अन्तरित नहीं हुए हैं, में पालिका केन्द्रीयित सेवा के किसी भी अधिकारी/कर्मी का तैनात रहना अथवा उन्हें भविष्य में तैनात किया जाना अधिनियम में दी गयी व्यवस्था केप्रतिकूल होने के कारण वैध नहीं मान जायेगा, अतः इन नगरों अतिरिक्त अन्य नगरों में स्थापित विकास प्राधिकरणों में से जहाँ–जहाँ पालिका केन्द्रीयित सेवाके अधिकारी/कर्मी वर्तमान में तैनात हैं उन्हें तत्काल नगर विकास विभाग द्वारा वापस ले लिया जाय।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही को वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 1999–2000 में ही कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1619(1)/9–आ–5–1999 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 8 अप्रैल 1996 को हुए आपसी समझौते एवं उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनिमय, 1973 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान निर्णय के दृष्टिगत केन्द्रीयित पालिका अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्राधिकरण अनुसार संवर्गवार 10 मई 1999 तक कर दें।
2. उपाध्यक्ष, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, एवं आगरा विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तर–2 में उल्लिखित संवर्गवार संख्या से अधिक तैनात पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वापस करने के आदेश यदि दिनांक 10 मई 1999 तक प्राप्त नही होते हैं तो दिनांक 12 मई 1999 तक अधिक संख्या में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से अवश्य कार्यमुक्त कर दें।
3. कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, एवं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उनके जहाँ यदि पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं और उन्हें यदि नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 10 मई 1999 तक वापस नहीं लिया जाता हैं तो उन्हें निश्चित रूप से दिनांक 12 मई 1999 तक कार्यमुक्त कर दें।
4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

वीरेश कुमार
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या : 1580 / 9–आ–5–99–252ई / 99

लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 1999

/ / कार्यालय ज्ञाप / /

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1995 के नियम–36 में की गयी व्यवस्था यथा, पी0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 योजना समान रूप से लागू किये जाने के विषय मं पूर्व में प्रत्येक मास आयोजित की जा रही स्थापना बैठकों में उक्त विषय में पूर्व में प्रत्येक मास आयोजित की जा रही स्थापना बैठकों में उक्त विषक पर विचार– विमर्श प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ किया जा रहा है। विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सी0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 योजना को समान रूप से प्रवेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी ढंग से लागू किय जाने, ताकि यथा समय पेंशन की व्यवस्था सम्भव हो सके, से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाय जिसका रूवरूप निम्नवत होगा। :–

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर–सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण – अध्यक्ष
(2) श्री मनमोहन, वित्त नियंत्रक / मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण – सदस्य
(3) श्री के0बी0 सक्सेना, कास्ट एकाउन्टेंट–इकोनामिक प्लानर, लखनऊ वि0प्रा0 – सदस्य
(4) श्री देवेन्द्र शर्मा, प्रधान लिपिक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण – सदस्य
(5) श्री पारस नाथ, सहायक लखधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण – सदस्य

उपरोक्त विषय पर समिति के समक्ष विचारणीय विन्दु सुलग्न है। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा में सी0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 योजना में एक रूपता लाने तथा योजना को समान रूप से कार्यान्यवित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी आख्या एवं संस्तुति एक माह के भीतर शासन की उपलब्ध करायेगी।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1580(1) / 9–आ–5–99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 / अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि गठित समिति को विषय वस्तु से सम्बन्धित आवश्यक सूचना / अभिलेख उपलब्ध करोन के लिए प्राधिकरण स्तर पर किसी उत्तरदयी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें एवं उन्हें समस्त वांछित सक्रिय सहयोग प्रदान करने का भी निर्देश देवें।

आज्ञा से,

वीरेश कुमार
विशेष सचितव